

19

अंचल अधिकारी का कार्यालय, तोपचाँची(धनबाद)

अभिलेख सं० १५(११)/२०१६-१७

वाद का प्रकार :- बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० १९५० की धारा ४(h) के तहत जाँच एवं कार्रवाई से संबंधित।

पदाधिकारी आदेश

14/10/16

झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक २०७४/रा० दिनांक १२.०५.२०१६ सहपठित श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू-अर्जन-सह - विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या- ३ - खा०म०निति - ११९/८५/२३०८/रा० दिनांक ०३.०९.१९८५ एवं सह-पठित राजस्व विभागगीय परिपत्र संख्या - ९१४/रा० दिनांक ०९.१२.१९९८ में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारम्भ की गयी। जाँच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं प्र०अं०नि० द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-

मौजा.....विशुपुर.....थाना नं०.....२०.....खाता नं०.....३९.....  
प्लॉट नं०.....८.....रकबा.....०.०५.....एकड़ की  
भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार(झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी ॥ के जिबूद सं०.....के पृष्ठ संख्या.....१५.....पर जमाबंदी रैयत क्षेत्रीय चन्द्र दास के नाम से कायम है।


हल्का कर्मचारी एवं प्र०अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के दुरूद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं प्र०अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध कोडकर बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम १९५० की धारा ४(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम १९५० की धारा ४(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाए।

अभिलेख दिनांक २८/१०/१६ को उपस्थापित करें।

  
अंचल अधिकारी,  
तोपचाँची

दिधि

सहायिकाणी आदेश

अभिलेखिन

28/10/16

अभिलेख उपस्थापित। नोटिस का तामिसा के क्रम में पाया गया कि स्थान पर संदिग्ध जमाबंदी रैशन का प्लोट खाली है। संबंधित राजस्व कर्मचारी एवं वधारी अंचल निरीताक में प्रतिवेदिन किया है कि भूमि झारखण्ड सरकार के खाले कि भूमि है एवं सभभा के तहत जमाबंदी कायम की गई है। झारखण्ड सरकार के भूमि पर सभभा के तहत बंदीवस्ती देना उचित प्रनीत नही होता है।

अतः जमाबंदी को संदेहास्पद जमाबंदी का मामला मानने हुए जमाबंदी रद्द करने की अनुशासा की जाती है।

अभिलेख भूमि सुधार उप समाहत्ती, धनबाद को भेजे।



अंचल अधिकारी  
तोपचांची।